10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर

प्र.क्रं. /निगरानी 17–18

किशन पुत्र उमकार जाति सहरिया
निवासी ग्राम रूपगढ़ तह.ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0

आवेदक

वनाम

म0प्र0शासन

निगरानी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

निगरानी विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्र0क्रं021अ–2/16–17 आदेशदिनांक 11.08.2017 के विरूद्व ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी अनुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूमि स्थित ग्राम गनेशखेड़ा के सर्वे क्रमांक 10 रकवा 1.070 तथा ईसागढ़ के सर्वे नं. 171 मि.रकवा 0.073 एवं सर्वे नं. 172/1 मिन रकवा 0.450 भूमि स्वामित्व व आधिपत्य की है । जिसकी विक्रय अनुमति आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिस पर निकाला गया निष्कर्ष विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है ।
2. यहकि उपरोक्त भूमि का आवेदन कलेक्टर महोदय अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय की ओर जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया ।
3. यहकि तहसीलदार महोदय द्वारा साक्ष्य ली जाकर पटवारी से जांच रिपोर्ट मंगवाकर व सब रजिस्टार से भूमि का बाजारू मूल्य मंगाकर संपूर्ण जांच कराकर जांच प्रतिवेदन स्पष्ट भूमि विक्रय करने की अनुमति के लिये भेजा । जिस पर से निकाला गया निष्कर्ष विधान के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है ।

— 2 —

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(7)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III / निग0 / अशोकनगर / भू0रा0 / 2017 / 3596

स्थान तथा दिनांक	किशन कार्यवाही तथा आदेश मध्य प्रदेश शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02 -02-18	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2— प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 11.08.2017 का अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत विवेचना किए जाने से यहां विवेचना को पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार गया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। पक्षकार सूचित हों प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	